न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **99/2024** **GCMS 2024/214**

प्रार्थी :–

1. बंजरग सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/12/2024

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम पलाड़ा पटवार हल्का पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नंबर 627 रकबा 1.56 है. ख.नं. 629 रकबा 0.11 है. ख.नं. 630 रकबा 1.01 है. ख. नं. 631 रकबा 1.22 है. ख.नं. 939/667 रकबा 0.21है. कुल खसरा 5 कुल रकबा 3.11 है. व ख.नं. 628 कुल रकबा 0.34 है. ख.नं. 883/627 कुल रकबा 0.01 है. में प्रार्थी के पिताजी स्व. हनुमान सिंह पुत्र छोटू सिंह के नाम से कब्जाशुदा खातेदारीशुदा कृषि भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ आई हुई है। जिसमें प्रार्थी के पिताजी स्व. हनुमान सिंह का 1/12 वां हिस्सा हैं जिसकी खतौनी नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। जिसमें पलाड़ा के खसरा नंबरान 627, 629, 630, 631, 939/667 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी के पिता हनुमान सिंह पुत्र छोटूसिंह की जाति [illegible] दर्ज कर दी गई थी। जबकि प्रार्थी के पिता हनुमान सिंह की जाति राजपूत है। ग्राम पलाड़ा के ख.नं. 628 व 883/627 की भूमि भी प्रार्थी के पिता हनुमान सिंह पुत्र छोटूसिंह के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

ही आई हुई है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान सिंह की जाति राजपूत दर्ज है। जो कि सही है। प्रार्थी व उनके पूर्वज पीढ़ियों से ग्राम पलाड़ा के ही निवासी है व ऊपर वर्णित खसरा नंबरान की भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में हनुमान सिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत ही अंकित है व ग्राम पलाड़ा के अन्य ख.नं. 628 व 883/627 की भूमि में भी सही नाम व जाति दर्ज है। जो सही एवं सत्य है। लेकिन त्रुटिवश ख.नं. 627, 629, 630, 631, 939/667 में हनुमन सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति जाट दर्ज हो गया था। जो कि गलत है। प्रार्थी के पिता हनुमान सिंह का देहान्त दिनांक 15.06.1988 को हो चुका है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जाति राजपूत की जगह जाट दर्ज होने के कारण फौतगी नामान्तरकरण आज दिन तक नहीं दर्ज किया जा सका है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य स्वरूप हनुमान सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत पलाड़ा का प्रमाण पत्र स्वयं का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वारिस प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के अपने पिता की गलत राजस्व रिकॉर्ड मं दर्ज होने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है व प्रार्थी का नामान्तरकरण भी राजस्व रिकॉर्ड में इसी कारण से दर्ज नहीं हो पा रहा हैं जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार कुचामन सिटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार हनुमान सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज है। खतौनी बंदौबस्त प्रथम संवत 2008–2027 के अनुसार हनुमान सिंह वल्द छोटू सिंह की जाति राजपूत दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार कुचामन सिटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध में [illegible]बद्ध खतौनियों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036, [illegible]36 से 2040, 2042 से 2045 2046 से 2049, 2069 से 2072 व वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के पिता की जाति जाट चली आ रही है। चूंकि लम्बे समय से जमाबंदियों में ही जाति जांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

चली आ रही है जिसको शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया गया।

अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested